न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः– 60 /अ–19(3)/2016–17/9139 बैतूल दिनांक 21 / 8 /2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार, इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांकः– 22/अ–19(3)/वर्ष 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17–1–2017 द्वारा, मौजा बॉसपुर तहसील घोड़ाडोंगरी में स्थित खसरा नंबर 565 रकबा 2.379 हेक्टर मद घॉस में से 2.019 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करते हुए, नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (I.T.I)भवन, छात्रावास एवं आवासीय भवन निर्माण करने हेतु मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं विकास विभाग को शर्तो के अधीन अंतरित की गई है।

प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल के पत्र क्रमांकः–शाऔप्रसं/बै/स्थाप/2017 371 दिनांक 21–2–2017 द्वारा अवगत कराया गया कि, उक्त भूमि असमतल एवं गड्ढेयुक्त होने के कारण संस्था के विभिन्न भवनो का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है। अतः उनके द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु अन्यत्र भूमि आवंटित करलने का अनुरोध किया गया। प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल के उपरोक्त पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर की ओर भेजकर आवेदित प्रयोजन हेतु अन्यत्र स्थल पर उपयुक्त भूमि का चयन करके,भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

2– तहसीलदार घोड़ाडोंगरी /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार उक्त संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

(1)– आवेदित प्रयोजन हेतु मौजा चोरपांढरा तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 43/1 रकबा 10.360 हेक्टेयर मद चरनोई में से 3.600 हेक्टेयर भूमि चयनित की जाकर, उक्त चयनित भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

(2)– दिनांक 27–4–2017 को ग्राम चोरपांढरा में आयोजित ग्राम सभा में, ग्राम चोरपांढरा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 43/1 रकबा 10.360 हेक्टेयर में से 2.800 हेक्टेयर भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(3)– वर्तमान अभिलेख (खसरा) के अनुसार मौजा चोरपांढरा तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 43/1 रकबा 10.360 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है, अधिकार अभिलेख वर्ष 1968–69 के अनुसार मौजा चोरपांढरा तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 43 रकबा 11.833 हेक्टेयर भूमि घॉस मद में दर्ज है।

(4)– प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम चोरपाण्ढरा का मकबूजा रकबा 571.885 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 62.929 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से चरनोई का रक्षित रकबा 11.438 हेक्टेयर होना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान में ग्राम में उपलब्ध चरनोई भूमि का रकबा ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत से अधिक है।

(5)– तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा, उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर मौजा चोरपाण्ढारा तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 43/1 रकबा 10.360 हेक्टेयर मद घॉस मे से 2.800 हेक्टेयर भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित करने की अनुशंसा की गई है।

3– म0प्र0शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/6/52/सात–नजूल/99 दिनांक 27–1–2004 द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक –7 के अधीन केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों, उपक्रमों स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करने हेतु कलेक्टर को

अधिकृत किया गया हैं। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यपदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार घोड़ाडोंगरी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन/अनुशंसा के अधार पर, इस न्यायालय के इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांकः– 22/अ–19(3)/वर्ष 2016–17 मौजा बॉसपुर में पारित आदेश दिनांक 17–1–2017 द्वारा, आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित की गई मौजा बॉसपुर तहसील घोड़ाडोंगरी में स्थित खसरा नंबर 565 रकबा 2.379 हेक्टर मद घॉस में से 2.019 हेक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर, उसके स्थान पर पर मौजा चोरपाण्ढारा तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 43/1 रकबा 10.360 हेक्टेयर मद घॉस मे से 2.800 हेक्टेयर भूमि जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है को आबादी घोषित करते हुए, नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (I.T.I) भवन, छात्रावास एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को निम्नलिखित शर्तो के अधीन हस्तांतरित की जाती हैः–

(1)– हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)– भूमि पर प्रस्तावित कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा.।

(4) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर, 21/8/17
जिला–बैतूल.

पृ0क0:– 60/अ–19(3)/2016–17/9139 बैतूल दिनांक 21/8/2017

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर की ओर सूचनार्थ।

2– तहसीलदार घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में यथाआवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति प्रस्तुत करें।

3– प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल की ओर सूचनार्थ।

4– निर्माण एजेंसी संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग (पी आई यू) बैतूल की ओर सूचनार्थ।

5– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

6– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर,
जिला–बैतूल 21/8/17